

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 1972/फाल्गुन 28, 1893
No. 80] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1972/PHALGUNA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INLAND AIR TRAVEL TAX

New Delhi, the 18th March 1972

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Inland Air Travel Tax Act, 1971 (48 of 1971), the Central Government hereby exempts members of either House of Parliament from the tax leviable under the said Act in respect of every inland air journey performed by them under the provisions of section 4 or section 5 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), subject to the condition that such members shall, while presenting the credit note, cash or cheque for the amount of the fare for such journey, furnish a certificate signed by them (including therein, their Division number), that the journey is covered by section 4 or section 5 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

[No. 1-IATT/72—F. No. 306/19/71-IATT/CX 9.]

R. K. THAWANI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अभिलेखन।

अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

सां० फा० नि० 196(अ).—अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 (1971 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्यों को, संसद् सदस्यों के सम्बलनों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 4 या धारा 5 के उपबन्धों के अधीन उनके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक अन्तर्देशीय हवाई यात्रा की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से छूट देती है जो इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसे यात्रियों को, ऐसी यात्रा की बाबत किराए की रकम के लिए क्रेडिट-नोट, रोकड़ या चेक देने समय, अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र (जिसमें उनकी डिबीजन संख्या भी हो) देना होगा कि यह यात्रा संसद् सदस्यों के सम्बलनों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 की धारा 4 या धारा 5 के अन्तर्गत आती है।

[सं० 1—आई ए टी टी/72—फा० सं० 306/19/71—आई ए टी टी/सी एक्स-9]

भार० के० थावानी, भवर सचिव